पंचायती राज चुनाव 2026 · मतदान में बाधा · मतदान दल के लिए

मतदान में बाधा: हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, मशीन या मतपेटी नष्ट

मतदान कब स्थगित करें, मशीन कब बंद करें, किसे बताएँ, फ़ैसला किसका, और डायरी में क्या लिखें। दोनों दिन का तरीका अलग है, इसलिए आमने-सामने।

आधार: पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 45, 48, 48-क, 48-ख, 48-ग और 58; राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश 2235 और 5468, और 2026 का चुनाव कार्यक्रम; आयोग की दोनों मार्गदर्शिकाएँ (ईवीएम से मतदान और जहाँ मतदान मतपेटी से होगा) 2026 · हर [] छूने पर स्रोत उसी पेज पर खुलता है

स्थगित मतदान · नियम 48

- बलवा, हिंसा, बाढ़ या तेज़ तूफ़ान जैसे हालात में उस दिन का मतदान रोका जाता है [EVM पृ. 23] [EVM पृ. 99] [नियम 48]
- बाद में **वहीं से** शुरू, जहाँ रुका था; वोट सिर्फ़ वे डालें जिन्होंने स्थगन से पहले वोट **नहीं** डाला [EVM पृ. 23] [EVM पृ. 99]
- नई तारीख़: ज़िला परिषद और पंचायत समिति की **राज्य निर्वाचन आयोग** तय करे, पंच और सरपंच की **ज़िला निर्वाचन अधिकारी** [EVM पृ. 23]
- मशीन वाले दिन RO से पहले वाली चिह्नित प्रति और रजिस्टर का सील पैकेट, और **नई मशीन** (CU + BU); पैकेट उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं के सामने खुले [EVM पृ. 99]

नया मतदान · नियम 48-क, 48-ख

- मशीन या मतपेटी छीनी, नष्ट या खोई गई, या इतनी ख़राब या छेड़छाड़ कि नतीजा पता न चल सके; वोट दर्ज करते समय मशीन में ख़राबी; ऐसी चूक, जिससे मतदान दूषित होने की संभावना हो; बूथ कैप्चरिंग: आयोग उस बूथ का मतदान **शून्य** घोषित कर नया मतदान करा सकता है [EVM पृ. 100] [नियम 48-क] [नियम 48-ख]
- मशीन वाली मार्गदर्शिका: उस बूथ के **सभी** मतदाता फिर से वोट डाल सकते हैं; पहले मतदान की स्याही का निशान अनदेखा [EVM पृ. 100]
- नया मतदान वैसे ही, जैसे पहला मतदान [EVM पृ. 100] [नियम 48-क]
- स्याही: जिस चुनाव का मतदान पहले हुआ, उसके दोबारा मतदान में **बाईं मध्यमा**; बाद वाले में **दाईं मध्यमा** [आदेश 2235, पृ. 2] [मतपेटी पृ. 5]। इस बार ज़िला परिषद-पंचायत समिति का मतदान पहले, पंच-सरपंच का बाद में [कार्यक्रम 9836] [आदेश 10090]

1 फ़ैसला किसका: बूथ से आयोग तक

मशीन वाला दिन ज़िला परिषद + पंचायत समिति

1 मतदान अधिकारी (PO)
मतदान स्थगित करें [EVM पृ. 99], या बूथ कैप्चरिंग पर मशीन बंद [EVM पृ. 100]

2 RO को तुरंत
पूरे तथ्यों की रिपोर्ट [EVM पृ. 99] [EVM पृ. 100]; बूथ कैप्चरिंग पर तभी, जब पक्का हो [EVM पृ. 100]; डायरी में भी [EVM पृ. 23]

3 RO से आयोग
RO पूरी रिपोर्ट तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को [EVM पृ. 100] [EVM पृ. 101]

4 राज्य निर्वाचन आयोग
मतदान शून्य और नया मतदान, या आगे के निर्देश [EVM पृ. 101] [नियम 48-क]; स्थगित मतदान की तारीख़ भी [EVM पृ. 99]

मतपेटी वाला दिन पंच + सरपंच

1 डायरी में
घटना का पूरा ब्योरा मतदान अधिकारी की डायरी में [मतपेटी पृ. 41]

2 पंच-सरपंच के RO
“रिटर्निंग अधिकारी की हैसियत से” रिपोर्ट तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को [मतपेटी पृ. 40] [मतपेटी पृ. 41]

3 ज़िला निर्वाचन अधिकारी
स्थगन पर आगे के निर्देश [मतपेटी पृ. 40]; रिपोर्ट जल्दी, ताकि आयोग तक बिना देर पहुँचे [मतपेटी पृ. 41]

4 राज्य निर्वाचन आयोग
दोबारा मतदान की रिपोर्ट जाने पर RO मतगणना रोकें; आगे का काम आयोग के आदेश पर, तब तक दल अपने काग़ज़ सील कर ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के पास जमा करे [मतपेटी पृ. 41]

नियम का पाठ: नियम 48 में मतदान बंद कर स्थगन की घोषणा **रिटर्निंग अधिकारी** करते हैं; अगला दिन ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उनके नामित अधिकारी अधिसूचित करते हैं, और RO हालात की रिपोर्ट तुरंत उन्हीं को भेजते हैं [नियम 48]। मशीन से होने वाले ज़िला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव पर नियम 48 नियम 58(5) से लागू है [नियम 58(5)]; मशीन वाली मार्गदर्शिका इसी “नियम 48 सपठित नियम 58” के तहत बूथ के मतदान अधिकारी (PO) को स्थगन का अधिकार बताती है [EVM पृ. 99]। नियम 48-क और 48-ख की अपनी शक्तियाँ आयोग ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या किसी अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकता है [नियम 48-ग]।
स्थगित मतदान की तारीख़: मशीन वाली मार्गदर्शिका में ज़िला परिषद-पंचायत समिति की आयोग और पंच-सरपंच की ज़िला निर्वाचन अधिकारी तय करते हैं [EVM पृ. 23] [EVM पृ. 99]; दोनों पाठों में तारीख़ बाद में अधिसूचित होती है, बूथ पर तय नहीं होती; जो अधिसूचना आए, वही मानें [नियम 48] [EVM पृ. 99]।
दोबारा मतदान की रिपोर्ट: नियम 48-क और 48-ख के पाठ में RO मामला तुरंत आयोग को भेजते हैं [नियम 48-क] [नियम 48-ख]; मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में पंच-सरपंच के RO रिपोर्ट ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजते हैं, ताकि वह बिना देर आयोग तक पहुँचे [मतपेटी पृ. 41]।

2 हिंसा, बलवा, बाढ़-तूफ़ान: मतदान स्थगित (नियम 48)

बात	मशीन वाला दिन ज़िला परिषद + पंचायत समिति · MPSV EVM	मतपेटी वाला दिन पंच + सरपंच · मतपत्र और मतपेटी
कब	बलवा, खुली हिंसा या शांति भंग; बाढ़ या तेज़ तूफ़ान जैसी प्राकृतिक विपत्ति; या कोई और पर्याप्त कारण, जिससे मतदान कराना **बिल्कुल असंभव** हो जाए [EVM पृ. 23] [EVM पृ. 99]। हल्की बरसात के छींटे, तेज़ हवा या मामूली लड़ाई-झगड़ा काफ़ी **नहीं**। [EVM पृ. 23]	स्थगन **सिर्फ़ विशेष परिस्थितियों** में [मतपेटी पृ. 40]; नियम 48 में जैसे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका [नियम 48]
कौन करे, किसे बताएँ	**मतदान अधिकारी (PO)** [EVM पृ. 99]। बलवा या खुली हिंसा हो, तो पहले पुलिस बल से हालात सँभालें; न सँभले और मतदान असंभव हो, तभी स्थगन। यह अधिकार कम से कम, सिर्फ़ उन्हीं मामलों में, जहाँ मतदान सच में असंभव हो गया हो [EVM पृ. 99]। हर मामले में RO को पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तुरंत [EVM पृ. 23] [EVM पृ. 99]	मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में स्थगन पंच-सरपंच के **RO** के कामों में है: स्थगन सिर्फ़ विशेष परिस्थितियों में, उसका ब्योरा **तुरंत** ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को, और आगे का काम (घोषणा और सील समेत) **उनके निर्देश पर** [मतपेटी पृ. 40]। नियम 48: RO मतदान बंद कर स्थगन की घोषणा करें; अगला दिन ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उनके नामित अधिकारी अधिसूचित करें; हालात की रिपोर्ट RO तुरंत उन्हीं को भेजें [नियम 48]।
सबके सामने घोषणा	वहाँ मौजूद सबको औपचारिक रूप से बताएँ कि मतदान उस तारीख़ को होगा, जो बाद में राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचित करेगा [EVM पृ. 99]; स्थगित मतदान की सूचना लोगों को बाद में दी जाएगी [EVM पृ. 23]	
सील	मशीन (दोनों यूनिट), मतदाता सूची की चिह्नित प्रति, रजिस्टर और चुनाव के बाक़ी काग़ज़ उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं के सामने वैसे ही सील, जैसे मतदान पूरा होने पर; वे मशीन और लिफ़ाफ़ों पर दस्तख़त कर सकते हैं [EVM पृ. 23] [EVM पृ. 99]	
स्थगित मतदान	आयोग की तय तारीख़ और समय पर, जहाँ रुका था वहीं से; सिर्फ़ वे मतदाता, जिन्होंने स्थगन से पहले वोट नहीं डाला। RO से पहले वाली चिह्नित प्रति और रजिस्टर का सील पैकेट, और नई मशीन (CU + BU); पैकेट उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं के सामने खोलें [EVM पृ. 23] [EVM पृ. 99]	ज़िला निर्वाचन अधिकारी की तय तारीख़ और समय पर, वहीं से; सिर्फ़ वे मतदाता, जिन्होंने स्थगन से पहले वोट नहीं डाला [EVM पृ. 23, पंच/सरपंच वाली पंक्ति]
डायरी में	मद (15): क्या मतदान स्थगित करना ज़रूरी था, हाँ तो कारण; मद (19)(क): बलवा या खुली हिंसा से मतदान में रुकावट, पूरा ब्योरा [EVM पृ. 193] [EVM पृ. 194]	मद (19): क्या मतदान स्थगित करना ज़रूरी था, हाँ तो कारण [मतपेटी पृ. 124]; मद (23): मतदान में रुकावट, (क) बलवा (ख) खुली हिंसा (ग) प्राकृतिक विपत्ति (घ) कोई और कारण; पूरा ब्योरा [मतपेटी पृ. 125]

3 बूथ से बाहर करना (नियम 45)

> बूथ पर कोई दुर्व्यवहार करे, या RO या मतदान अधिकारी के क़ानूनी आदेश न माने, तो RO या मतदान अधिकारी उसे **तुरंत बाहर** करें या वहाँ मौजूद पुलिस से बाहर करवाएँ; RO या मतदान अधिकारी की अनुमति के बिना वह फिर अंदर न आए। [EVM पृ. 23] [नियम 45]

> पर यह अधिकार ऐसे न चलाएँ कि जिस मतदाता का वहाँ वोट है, वह वोट डालने के मौक़े से **वंचित** हो जाए। [नियम 45]

4 मतदान के दौरान मशीन या मतपेटी की दिक्कत

बात	मशीन वाला दिन ज़िला परिषद + पंचायत समिति · MPSV EVM	मतपेटी वाला दिन पंच + सरपंच · मतपत्र और मतपेटी
क्या करें	कोई भी यूनिट ख़राब हो, तो **पूरा सेट** (CU + BU) बदलें, फिर नई मशीन पर मॉकपोल [आदेश 5468, C-1, C-3]; CLOCK ERROR में CU वही रहेगी; PO पंचनामा बनाएँ, उस पर मतदान अभिकर्ताओं के दस्तख़त लें, और मतदान के बाद उसे डायरी के साथ लगाएँ [C-7]। पूरा ब्योरा: CU/BU एरर वाली PDF	मशीन नहीं होती। मतदान से पहले या दौरान दूसरी या तीसरी मतपेटी लगानी पड़े, तो उसकी तय घोषणाएँ इस्तेमाल से पहले और मतदान ख़त्म होने पर [मतपेटी पृ. 125]। पेटी भरने या ख़राब होने पर क्या करें: मतपेटी वाले दिन की दिक्कतें (PDF)
मतदान असंभव	ख़राबी से मतदान असंभव हो जाए, तो RO को तुरंत, और डायरी में [EVM पृ. 23]। वोट दर्ज करते समय मशीन में तकनीकी ख़राबी नियम 48-क का आधार है: आयोग बूथ का मतदान शून्य कर नया मतदान करा सकता है [EVM पृ. 100] [नियम 48-क]	पेटी नष्ट, खोई या छेड़छाड़: इसी PDF का खंड 6 [मतपेटी पृ. 40] [मतपेटी पृ. 41]
डायरी में	मद (19)(ग): मतदान मशीन का असफल होना; मद (24): नई मशीन लगी हो, तो इस्तेमाल से पहले और मतदान ख़त्म होने पर घोषणाएँ हुईं या नहीं [EVM पृ. 193] [EVM पृ. 194]; CLOCK ERROR का पंचनामा डायरी के साथ [C-7]	मद (28): दूसरी या तीसरी मतपेटी लगी हो, तो घोषणाएँ हुईं या नहीं [मतपेटी पृ. 125]

5 बूथ कैप्चरिंग (नियम 48-ख)

बात	मशीन वाला दिन ज़िला परिषद + पंचायत समिति · MPSV EVM	मतपेटी वाला दिन पंच + सरपंच · मतपत्र और मतपेटी
क्या है	नियम 48-ख की व्याख्या में, जैसे: (क) बूथ पर क़ब्ज़ा कर मतदान अधिकारियों से मतपत्र या मशीन छीन लेना, और मतदान की व्यवस्था बिगाड़ने वाला कोई और काम; (ख) बूथ पर क़ब्ज़ा कर सिर्फ़ अपने समर्थकों से वोट डलवाना; (ग) मतदाता को धमकाकर वोट डालने जाने से रोकना; (ङ) सरकारी कर्मचारी का किसी उम्मीदवार के लिए इनमें से कोई काम करना, उसमें मदद करना या मिलीभगत रखना [नियम 48-ख, व्याख्या]	
क्या करें	मतदान अधिकारी (PO) की राय में बूथ पर क़ब्ज़ा हो रहा हो, तो तुरंत CU पर **Close** दबाएँ, ताकि आगे वोट दर्ज न हों, और BU को CU से अलग करें [EVM पृ. 23] [EVM पृ. 100]। मार्गदर्शिका: मतदान बंद करने की रिपोर्ट RO को तभी, जब **पक्का** हो कि क़ब्ज़ा हो रहा है, सिर्फ़ आशंका या शक पर नहीं; क्योंकि Close के बाद मशीन आगे कोई वोट दर्ज नहीं करती, और मतदान उस दिन के लिए या कुछ समय के लिए रुक जाता है [EVM पृ. 100] [EVM पृ. 101]	रिपोर्ट उसी तरीके से, जैसे मतपेटी नष्ट होने पर (इसी PDF का खंड 6) [मतपेटी पृ. 41]; ब्योरा मतदान अधिकारी की डायरी में भी [मतपेटी पृ. 41]
किसे बताएँ	मशीन बंद करने के बाद जल्द से जल्द RO को पूरे तथ्यों की रिपोर्ट; RO तत्काल आयोग को [EVM पृ. 101]	RO रिपोर्ट तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को, ताकि बिना देर आयोग तक पहुँचे [मतपेटी पृ. 41]
सील	मशीन और चुनाव के सारे काग़ज़ वैसे ही सील, जैसे मतदान पूरा होने पर [EVM पृ. 101]	आयोग के आदेश तक दल अपने काग़ज़ सील कर ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के पास जमा करे; रिपोर्ट भेजने पर RO मतगणना भी रोक दें [मतपेटी पृ. 41]
फ़ैसला	**राज्य निर्वाचन आयोग:** RO की रिपोर्ट मिलने पर, सारे हालात देखकर, बूथ का मतदान शून्य घोषित कर नए मतदान का दिन और समय तय कर सकता है [नियम 48-ख]; मशीन वाली मार्गदर्शिका के शब्दों में, जब तसल्ली हो कि मतदान दूषित हुआ [EVM पृ. 101]। अगर इतने बूथों पर कैप्चरिंग हुई कि चुनाव का नतीजा प्रभावित होने की संभावना हो, या कैप्चरिंग से मतगणना पर ऐसा असर पड़ा कि नतीजा प्रभावित हो, तो उस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव ही रद्द (countermand) कर सकता है [नियम 48-ख]	
डायरी में	मद (18)(च): बूथ कैप्चरिंग के मामले; मद (19)(ख): बूथ कैप्चरिंग से मतदान में रुकावट, पूरा ब्योरा [EVM पृ. 193] [EVM पृ. 194]	ब्योरा डायरी में [मतपेटी पृ. 41]; डायरी (परिशिष्ट 23-B) में बूथ कैप्चरिंग नाम की अलग मद नहीं, रुकावट वाली मद (23) है [मतपेटी पृ. 125]

6 मशीन या मतपेटी छीनी, नष्ट, खोई, छेड़छाड़ (नियम 48-क)

बात	मशीन वाला दिन ज़िला परिषद + पंचायत समिति · MPSV EVM	मतपेटी वाला दिन पंच + सरपंच · मतपत्र और मतपेटी
कब	कोई अनधिकृत व्यक्ति मशीन ग़ैरक़ानूनी ढंग से उठा ले जाए; मशीन दुर्घटना से या जानबूझकर नष्ट हो, खो जाए, या इतनी ख़राब कर दी जाए या उसमें गड़बड़ हो कि बूथ का नतीजा पता न चल सके [EVM पृ. 23] [EVM पृ. 100]	मार्गदर्शिका: मतपेटी दुर्घटना से या जानबूझकर ख़राब हो, खो जाए या टूट जाए, जिससे बूथ का नतीजा प्रभावित हो [मतपेटी पृ. 40] [मतपेटी पृ. 41]। नियम 48-क का पाठ: पेटी कस्टडी से ग़ैरक़ानूनी ढंग से छीनी जाए, नष्ट हो या खो जाए, या इतनी ख़राब या छेड़छाड़ कि नतीजा पता न चल सके [नियम 48-क]
क्या करें	मशीन, या चुनाव का सामान (रजिस्टर, चिह्नित प्रति जैसा) कस्टडी से ले जाया जाए, ख़राब हो या छेड़छाड़ हो: “मतदान बन्द कर दें” और RO को तुरंत पूरे तथ्यों की रिपोर्ट [EVM पृ. 114]; डायरी में भी [EVM पृ. 23]	पूरी रिपोर्ट मतदान अधिकारी की डायरी में; RO रिपोर्ट तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को [मतपेटी पृ. 41]। नियम 48-क के पाठ में RO मामला तुरंत आयोग को भेजें [नियम 48-क]
फ़ैसला	**राज्य निर्वाचन आयोग:** मतदान शून्य घोषित कर नए मतदान का दिन और समय तय करे; या नतीजे पर असर न हो, तो RO को आगे के निर्देश दे [नियम 48-क]। नया मतदान वैसे ही, जैसे पहला [EVM पृ. 100] [नियम 48-क]	
डायरी में	मद (20): मशीन (क) PO की कस्टडी से ग़ैरक़ानूनी ढंग से छीनी गई, या (ख) नष्ट की गई या छेड़छाड़ हुई; पूरा ब्योरा [EVM पृ. 193] [EVM पृ. 194]	मद (24): (i) मतपेटी मतदान अधिकारी की कस्टडी से ग़ैरक़ानूनी ढंग से छीनी गई और (क) दुर्घटना से या जानबूझकर खोई या नष्ट हुई, (ख) नष्ट की गई या छेड़छाड़ हुई; (ii) किसी ने मतपत्रों पर ग़ैरक़ानूनी ढंग से निशान लगाकर पेटी में डाले; पूरा ब्योरा [मतपेटी पृ. 125]

7 प्रक्रिया में चूक (नियम 48-क)

बात	मशीन वाला दिन ज़िला परिषद + पंचायत समिति · MPSV EVM	मतपेटी वाला दिन पंच + सरपंच · मतपत्र और मतपेटी
कब	प्रक्रिया में ऐसी भूल या अनियमितता, जिससे मतदान दूषित होने की संभावना हो [EVM पृ. 23] [EVM पृ. 100] [नियम 48-क]; मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में: जिससे मतदान दूषित हो जाता है [मतपेटी पृ. 41]	
क्या करें	RO को तुरंत, और डायरी में [EVM पृ. 23]; RO रिपोर्ट आयोग को भेजें, निर्देश के लिए [EVM पृ. 100]	RO रिपोर्ट तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को [मतपेटी पृ. 41]
डायरी में	मद (23): मतदान दल से हुई गलतियों या अनियमितताओं का पूरा ब्योरा [EVM पृ. 193] [EVM पृ. 194]	मद (27): मतदान दल से हुई गलतियों या अनियमितताओं का पूरा ब्योरा [मतपेटी पृ. 125]

8 रिपोर्ट में क्या हो

मतपेटी वाली मार्गदर्शिका: दोबारा मतदान की रिपोर्ट [मतपेटी पृ. 41]

1. बूथ का नाम, वार्ड नंबर, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
2. घटना का पूरा ब्योरा
3. RO की साफ़ सिफ़ारिश: दोबारा मतदान क्यों ज़रूरी है
4. काग़ज़ देखकर पूरी तरह साफ़ रिपोर्ट; अस्पष्ट रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं हो पाती
5. किसी मामूली घटना पर ऐसी रिपोर्ट नहीं

मशीन वाले दिन: स्थगन के हर मामले में, और मशीन छिनने, नष्ट होने, ख़राबी से मतदान असंभव होने या प्रक्रिया में चूक पर, RO को पूरे तथ्यों की रिपोर्ट; बूथ कैप्चरिंग की रिपोर्ट तभी, जब पक्का हो [EVM पृ. 23] [EVM पृ. 99] [EVM पृ. 100] [EVM पृ. 101]

9 मतदान अधिकारी की डायरी

> मशीन वाली मार्गदर्शिका: प्रविष्टियाँ **घटना होते ही** लिखें [EVM पृ. 114]। मतपेटी वाली मार्गदर्शिका: ब्योरा डायरी में उचित जगह लिखें [मतपेटी पृ. 41]।

> **मशीन वाला दिन:** पंचायत समिति और ज़िला परिषद की **एक ही** डायरी; जगह कम पड़े तो सादा काग़ज़ जोड़ें; डायरी मशीन और बाक़ी सील काग़ज़ों के साथ RO को, दोनों चुनावों के प्ररूप-14 की एक-एक प्रति लगाकर। [EVM पृ. 193] [EVM पृ. 194]

> **मतपेटी वाला दिन:** डायरी परिशिष्ट 23-B [मतपेटी पृ. 40]; पंच और सरपंच की एक डायरी [मतपेटी पृ. 124]; वह मतपेटी के साथ जाती है और मतगणना के समय RO के सामने रखी जाती है। [मतपेटी पृ. 125]

दोनों दिन एक जैसा

स्थगित मतदान में सिर्फ़ वे वोट डालें, जिन्होंने पहले नहीं डाला [EVM पृ. 23]; नया मतदान वैसे ही, जैसे पहला [नियम 48-क]। घटना का ब्योरा डायरी में [EVM पृ. 23] [मतपेटी पृ. 41]। मामूली बात पर न स्थगन, न रिपोर्ट [EVM पृ. 23] [मतपेटी पृ. 40] [मतपेटी पृ. 41]। मतदान शून्य कर नया मतदान कराने का फ़ैसला आयोग का [EVM पृ. 100] [नियम 48-क]।

जो अलग है, वहीं गलती होती है

रिपोर्ट मशीन वाले दिन PO से RO और RO से आयोग [EVM पृ. 100] [EVM पृ. 101]; मतपेटी वाले दिन RO से ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), ताकि बिना देर आयोग तक पहुँचे [मतपेटी पृ. 40] [मतपेटी पृ. 41]। स्थगित मतदान की तारीख़ (मशीन वाली मार्गदर्शिका): ज़िला परिषद-पंचायत समिति की आयोग, पंच-सरपंच की ज़िला निर्वाचन अधिकारी [EVM पृ. 23]। बूथ कैप्चरिंग पर मशीन वाले दिन Close [EVM पृ. 100]। दोबारा मतदान की स्याही: पहले हुए चुनाव में बाईं मध्यमा, बाद वाले में दाईं; इस बार पहले ज़िला परिषद-पंचायत समिति [आदेश 2235, पृ. 2] [कार्यक्रम 9836]

साइट पर पूरा ब्योरा: पहला मतदान (मशीन): मतदान रोकना · मतपेटी वाले दिन की दिक्कतें (PDF) · CU/BU एरर (PDF) · मतगणना रुके तो

स्रोत [] छूने पर स्रोत ठीक उसी पेज पर खुलता है (MockPoll पर रखी प्रति); पेज नंबर किताब पर छपे वाले हैं

- राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994, अंग्रेज़ी पाठ: नियम 45, 46, 47, 48 [पृ. 106]; 48-क, 48-ख [पृ. 107]; 48-ख की व्याख्या, 48-ग [पृ. 108]; 58(5) [पृ. 119]।
- आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/2235, दिनांक 25.06.2019: दोबारा मतदान में स्याही किस उँगली पर। [आदेश 2235, पृ. 2]
- आयोग की प्रेस विज्ञप्ति और चुनाव कार्यक्रम, क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9836-44, दिनांक 03.10.2026; संशोधित कार्यक्रम, आदेश 10090, दिनांक 06.10.2026: कौन-सा चुनाव पहले। [कार्यक्रम 9836] [आदेश 10090]
- आयोग का पत्र क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/5468, दिनांक 04.08.2026: मतदान के दौरान मशीन बदलना (C-1, C-3), CLOCK ERROR (C-7)। [आदेश 5468, C-1, C-3] [C-7]
- राज्य निर्वाचन आयोग: मार्गदर्शिका, ईवीएम से मतदान, 2026 (EVM पृ.): पेज 23, 99–101, 114, 193–194।
- राज्य निर्वाचन आयोग: मार्गदर्शिका, जहाँ मतदान मतपेटी से होगा, 2026 (मतपेटी पृ.): पेज 5, 40–41, 124–125।